

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-706/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(196)-2021
लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2021
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और अधिसूचना सं0-1404/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(169)-2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों, का अधिक्रमण करके एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के मध्य अधिसूचना सं0-429/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(107)-2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के उपबंधों का अनुपालन न किये जाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय शास्ति की धनराशि का अधित्यजन करती हैं।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव